P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में सुशासन

मंजु लाडला
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय,
सीकर, राजस्थान, भारत

सारांश

''सुशासन का शाब्दिक अभिप्राय 'सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था से है। जिसमे समाज के सभी वर्गो का सर्वांगीण विकास हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, निष्पक्ष व त्वरित न्याय, सबको शिक्षा, रोजगार एवं सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता, संतुलित भोजन स्वच्छ आवास सहित सभी आवश्यक सुविधाएं नागरिकों को मिले। देश का प्रत्येक नागरिक तनाव मुक्त जीवन यापन करे।''[1]

सुशासन आज एक नवीन अवधारणा है लेकिन यह आदिकाल से चला आ रहा 'शासन का दर्शन' है। जिसमें राज्य का काम सुचारू रूप से संचालित होता है, राज्य के लोग भय और भूख से निश्चित होकर दैनिक जीवन को हर्षोल्लास से व्यतीत कर सके। भारत में सुशासन की अवधारणा प्राचीनकाल में विकसित हुयी, वेदान्तिक काल में पल्लवित हुयी, सामाजिक सुधार आंदोलन में पुष्पित हुयी तथा सांवैधानिक सरंचना से उद्घोषित हुयी, अर्थात हमारी पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य में ही सुशासन रहा है। लेकिन 20 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनों से दुनिया विचलित हो उठी। विकास के नाम पर नाना विकार पैदा होने लगे। लोक प्रशासन विफल होने लगा। शासन के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मानको या पैरामीटरस को नापकर सुशासन स्थापित करने के प्रयास होने लगे। प्रस्तुत शोध पत्र में सुशासन का अभिप्राय, इतिहास तथा इस दिशा में किये गये प्रयासो पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही सुशासन के मार्ग में बाधक तत्वो को खोजकर उनके समाधान हेतु उपाय सुझाये गये है।

मुख्य शब्द : आदिकाल, सांवैधानिक, लोकप्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय मानक।

प्रस्तावना

सुशासन अर्थात श्रेष्ठ शासन विस्तृत व्याख्या का विषय है फिर भी कुछ मोटे लक्षण होते है जिनके आधार पर किसी शासन को सुशासन कहा जा सकता है :–

सामर्थ्यवान शासन या प्रभावशीलता, लोकतांत्रिक शासन और शासन में जनता की अधिकाधिक भागीदारी, संविधानवादी शासन और शासन में आवश्यक संवेदनशीलता, स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेही शासन, विकासोन्मुखी शासन, स्वतंत्र, शीघ्र तथा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त प्रशासन, मितव्ययता, सक्षम नेतृत्व, प्रशासन के विभिन्न विभागो में समन्वय, जनमानस में नागरिक दायित्वों के प्रति सजगता, स्वस्थ दलीय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को लोगो द्वारा स्वीकारना, नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, शोषण एवं उत्पीडन से रक्षा तथा शक्ति के दुरूपयोग को रोकने की व्यवस्था इत्यादि।

शासन का सबसे प्रमुख कार्य बाहरी आक्रमण से रक्षा और आन्तरिक क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखना होता है। ये दोनों कार्य तभी संभव है जबकि शासन में आवश्यक सामर्थ्य हो। जब शासन सामर्थ्यवान होता है तब पडौसी देश या दूरस्थ शक्तिशाली राज्य दोनो ही इस बात को समझते है कि इस राज्य पर दबाव डालना संभव नहीं है। आन्तरिक क्षेत्र में समाजकण्टक तत्व इस बात को समझ लेते है कि यदि मनमानी करने की कोशिश की तो परिणाम स्वयं उनके लिये भंयकर होगे। सामर्थ्यवान शासन समाजकण्टकों में भय की भावना का संचार तथा नागरिको को निर्भयता का वातावरण उपलब्ध कराता है।

''लोकतंत्र सुशासन का आधार होता है''।[2] सुशासन में लोकतंत्र के साथ–साथ शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता को अधिकाधिक भागीदारी होती है। इसके लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाता है। सुशासन विधि का शासन होता है ताकि शासन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी सत्ता का दुरूपयोग नहीं कर सके। शासन में जनता के विचार, भावनाओं, आवश्यकताओं, अधिकार, स्वतंत्रताओं और दुःख दर्द के प्रति शासन में संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता शासन को समय रहते आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित

करती है तथा जनता को सामान्य रूप से आंदोलन का मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

सुशासन स्वच्छ शासन अर्थात भ्रष्टाचार रहित शासन होता है। इसके लिए शासन में आवश्यक पारदर्शिता होती है तथा शासन के प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक कार्य के लिए जवाबदेयीता निश्चित होती है। सुशासन का लक्ष्य व्यवस्था को बनाये रखना नही वरन देश को विकास की और आगे बढ़ाना होता है। सुशासन का प्रयास 'समावेशी और संतुलित विकास' होता है। समावेशी विकास से तात्पर्य है कि विकास के लाभ समाज के निम्नतम व्यक्ति अर्थात समाज के सबसे निर्धन और कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। 'संतुलित विकास' से आशय देश के सभी क्षेत्रों के विकास (महानगर व गांव) से होता है।

''निष्पक्ष, शीघ्र एवं सुलभ न्याय व्यवस्था सुशासन की कसौटी होती है''।[3] इसके लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है अर्थात उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका ही शासन को सांवैधानिक मर्यादाओं की सीमा में रखते हुए नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा कर सकती है। साथ ही शासन–प्रशासन अधिकाधिक संभव सीमा तक राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होता है। प्रशासनिक कार्यो मे दलीय या व्यक्तिगत हितो के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। सुशासन के लिए आवश्यक हैं कि राजनीतिक तंत्र और नौकरशाही दोनों मे से किसी का भी अनावश्यक विस्तार न हो तथा समस्त शासन तंत्र में, प्रत्येक स्तर पर सादगी और मितव्ययता को मात्र दिखावे के लिए नहीं वरन् वास्तविक और सम्पूर्ण अर्थो में अपनाया जाये।

सर्वोच्च स्तर के साथ–साथ प्रांतीय एवं जिला स्तर पर भी 'सक्षम नेतृत्व' सुशासन के लिए आवश्यक है। ऐसा नेतृत्व जिसे देश की जनता मे बहुत प्रभावपूर्ण स्थिति प्राप्त हो। सक्षम नेतृत्व ही समस्त व्यवस्था को उद्देश्यपूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। साथ ही प्रशासन के विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों के बीच उचित समन्वय और सामंजस्य हो, जिससे समस्त शासन–प्रशासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। सुशासन और सामान्य जनता में नागरिक दायित्वों के प्रति सजगता का भाव, ये दोनों बाते एक–दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग, मताधिकार का उचित प्रयोग, समय पर करों की स्वैच्छिक अदायगी, इत्यादि नागरिक दायित्व के प्रति जनता सजग रहे। साथ ही नागरिकों की सोच और दृष्टिकोण धर्म जाति या अन्य किसी संकुचित भाव पर नही वरन् समस्त समाज और राज्य के हितो पर आधारित होना चाहिए। देशहित को प्राथमिकता देने वाले 'स्वस्थ राजनीतिक दलों' के बिना सुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सिद्धान्त एवं विचारधारा के आधार पर दलों का निर्माण हो तथा योग्य व्यक्ति चुनाव जीतकर शासन की बागडोर संभाले।

उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर कह सकते है कि भारत एक लोक कल्याणकारी देश है और जनकल्याण को समर्पित शासन ही सुशासन है।

शोध के उद्देश्य

1. सुशासन का अभिप्राय स्पष्ट करना।
2. भारत में प्राचीन एवं आधुनिक समय में सुशासन की अवधारणा को स्पष्ट करना।
3. इस बात का पता लगाना कि भारत में शासन–प्रशासन, सुशासन की दिशा में अपनी भूमिका का सही निर्वाह कर रहे है ?
4. शासन द्वारा सुशासन की दिशा में किये गये प्रयासों का विश्लेषण करना।
5. सुशासन के मार्ग में बाधक तत्वों को चिन्हित करना।
6. बाधक तत्वों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर समाधान के उपाय खोजना।

उपकल्पनाएँ

1. सभी देशो की राजनीतिक व्यवस्थाओं का लक्ष्य 'सुशासन' ही रहता है।
2. भारत में सुशासन की अवधारणा प्राचीन समय से ही विद्यमान रही है।
3. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी सरकारों ने सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किये है।
4. सुशासन के मार्ग में अनेक बाधाएं है जिनसे अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।
5. सुशासन के मार्ग मे बाधक तत्व व चुनौतियों का समाधान करना अति–आवश्यक है, जिससे आमजन को सुशासन का लाभ प्राप्त होवे।

शोध प्रविधि

सुशासन अर्थात सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों आदि के बारे मे जनप्रतिनिधियों (सतापक्ष एवं विपक्ष) आमजन, महिलाओं, विद्यार्थी वर्ग इत्यादि का निदर्शन पद्धति से चयन कर प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों व जानकारी का संकलन किया गया है। सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों से भी बातचीत के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन विभिन्न अधिनियमों, संबंधित विभागों के प्रतिवेदन, विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में संबंधित प्रकाशित लेखो, वेबसाइट्स व अन्य मान्य साहित्य के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों व जानकारी के आधार पर ही मूल्यांकन कार्य किया गया है।

सुशासन : इतिहास के आइने में

राज्य की उत्पति निःसंदेह मानव कल्याण के लिए ही हुई है तथा मानव समाज ने राज्य की बल सत्ता को सामान्य हित मानव कल्याण, न्याय और सुशासन की व्यवस्था को प्राप्त करने की आशा में स्वीकार और आत्मसात किया है। ऐसे में प्राचीन समय से ही राज्य द्वारा सदैव अच्छे शासन की कल्पना की जाती है और यही अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपने नागरिकों को मानव विकास के सर्वोच्च बिन्दु तक ले जायेगा। यह प्रवृत्ति पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शन दोंनो मे ही प्राचीन समय से विद्यमान रही है।

पाश्चात्य दर्शन एवं सुशासन

''पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है। यह आदर्श

राज्य सुशासन की ही कल्पना है जिसमें राज्य में रहने वाले लोग अपने–अपने कर्त्तव्यों का पालन करते है और दार्शनिक राजा निजी हितो का त्याग कर आमजन एवं लोकसेवा के प्रति समर्पित रहता है। साथ ही शासन को एक कला माना है। इस कला को चलाने हेतु योग्य कलाकार (दार्शनिक राजा) का होना आवश्यक माना है अर्थात प्लेटों योग्य व्यक्ति को शासन की सत्ता सौंपने का पक्षधर था''।[4] अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा है कि '' राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और वह सद्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है।[5] यह सद्जीवन आज के अर्थो में सुशासन का ही प्रतीक है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों में जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धान्त में जनतंत्र का समर्थन करते हुए कहा है कि ''व्यक्ति से जीवन, स्वतंत्रता और सम्पति का अधिकार कोई छीन नहीं सकता हैं''।[6] जिसकी पृष्ठभूमि में सुशासन ही है। रूसों ने सामान्य इच्छा के सिद्धान्त में स्वशासन एवं सुशासन का मेल स्थापित करने का कार्य किया। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के हित के लिए अपनी शक्ति का परित्याग करता है उसकी वैयक्तिक इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है''।[7]

भारतीय दर्शन एवं सुशासन

भारत में आदिकाल से ही राज्य एवं राजा का दायित्व सुशासन की स्थापना करना रहा है। '' मनुस्मृति के अनुसार प्रजारक्षण, प्रजारंजन अर्थात लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह राज्य का दायित्व है''।[8] मनु ने राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायी बताया है जो कि सुशासन का एक सूचक है। वेदव्यास जी ने भी सुशासन की स्थापना हेतु गुणयुक्त व्यक्ति को शासन का अधिकार प्रदान करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि '' गुणयुक्त व्यक्ति ही शासन करने का अधिकारी है। गुणयुक्त एवं संचयी राजा प्रजा का विश्वास प्राप्त करता है और न ही वह पथ भ्रष्ट होता है ''।[9] कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सुशासन की स्थापना के उद्देश्य से राजा के कर्त्तव्यों का वर्णन करते हुए लिखा है कि '' प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है। राजा एवं प्रजा के पिता–पुत्र के संबंध होने चाहिए''।[10] शुक्र ने भी '' जनता से जुड़े और जनहित के कार्यो को तत्परता से करने में लगे रहने वाले शासन को ही अच्छा शासन माना है''।[11] भारत के लम्बे संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्थानीय शासन और सुशासन पर्यायवाची बन गये थे। आंदोलन काल के मनीषियों में विवेकानंद, स्वामी दयानन्द सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक एवं महात्मा गांधी के विचार भी सुशासन को लक्ष्य बनाकर ही दिये गये थे। महात्मा गांधी ने तो स्वराज्य के माध्यम से सुराज को स्थापित करने पर बल दिया था।'' उनके सुराज (रामराज्य) में सभी व्यक्ति सुखी थे और राजा का सर्वोच्च कर्त्तव्य प्रजाहित था''।[12] अम्बेडकर भी स्वशासन के पक्षधर थे। उनकी दृष्टि में स्वशासन की सार्थकता तभी तक है जबकि वह सुशासन हो। उन्होंने निष्पक्षता, न्याय स्वच्छ प्रशासन और ऐसे वातावरण का विकास जिसमें लोग अपनी सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति कर सके, को सुशासन की कसौटी माना हैं।''[13] स्वतंत्रता के पश्चात जनता ने संविधान को स्वीकृति प्रदान की उसमें भी सुशासन को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

सुशासन के लिए किये गये प्रमुख प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केन्द्र एवं राज्यों की सरकारों ने सुशासन की स्थापना के प्रयास किये और संविधान में उल्लेखित नीति–निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करते हुए लोककल्याण की स्थापना में अपना योगदान दिया। सुशासन की दिशा में निम्नलिखित उल्लेखनीय प्रयास किये गये –

''संविधान की प्रस्तावना तथा सांवैधानिक शासन'',[14]''नीति निदेशक तत्वों का समावेश'',[15]'' नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना तथा मानवाधिकार आयोग की स्थापना'',[16] पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नीतिगत विकास, बीससूत्री कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन – विकेन्द्रीयकरण एवं जनसहभागिता में वृद्धि के प्रयास (73 वां 74 वां संविधान संशोधन),[17] महिला सशक्तिकरण के प्रयास – महिला नीति का निर्माण, महिला आयोग की स्थापना तथा अनेक लाभकारी योजनाओं की क्रियान्विती, रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा), शिक्षा का अधिकार एवं मिड–डे–मिल योजना, ''सूचना का अधिकार'',[18] छोटा मंत्रीमण्डल, लोक गारण्टी अधिनियम, स्वच्छ भारत अभियान – (खुले में शौच से मुक्ति), मुख्यमंत्री सम्पर्क पोर्टल, उज्जवला योजना, विडियो कॉन्फ्रेन्स योजना, लोकायुक्त की स्थापना, आधारकार्ड एवं विभिन्न योजनाओं से जोडना, भामाशाह योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मंत्रियो एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सम्पति की घोषणा, डिजिटल इंडिया – ऑनलाईन कार्यो को बढ़ावा – जनता के लिए पानी, बिजली, दूरसंचार साधन, आयकर रिटर्न, प्रतियोगी परिक्षाओं के आवेदन, पैसे का स्थानान्तरण इत्यादि की ऑनलाइन व्यवस्था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, पेन्शन योजना, छात्रवृति एवं छात्रावास सुविधाएं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन–नोटबंदी, कालेधन पर प्रतिबंध, जीएसटी, ईवीएम में नोटा का विकल्प, नामांकन पत्र में प्रत्याशी को सभी कॉलम भरना अनिवार्य, मतदान पर्ची, नीति आयोग का गठन, आयुष्मान भारत तथा, प्रधानमंत्री का 'मन की बात' योजना इत्यादि।

उपर्युक्त योजनाओं में से ई–शासन, सूचना का अधिकार तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास सिद्ध हो सकते है।

ई–शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सरकारी कार्यो में पारदर्शिता के साथ–साथ सभी योजनाओं या सेवाएं जनता तक इन्टरनेट के माध्यम से तत्काल पहुंचाई जाती है। इस दिशा में 1970 ई0 मे भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा 1977 ई0 में नेशनल इंफार्मेटिक्स सेन्टर की स्थापना की थी। तब से भारत सरकार और लगभग सभी राज्य सरकारे आम जनता के लिए सुविधाए इन्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। ई–गर्वनेंस के माध्यम से –ऑनलाईन प्रमाण–पत्रों का निर्माण (पैन, राशन कार्ड, जाति, मूल निवास, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड इत्यादि) रेल, बस

तथा वायुयान में सीट बुकिंग, बैंको से धन जमा कराना व निकालना, लोक विभाग की शिकायत करना या शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं परीक्षा परिणाम देखना, विभिन्न बिलों का भुगतान, आयकर रिटर्न फाइल करना, प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन, ऑनलाईन मतदाता सूची में नाम जुड़वाना तथा स्पीड पोस्ट की स्थिति जानना इत्यादि कार्य सम्पादित हो रहे है।

ई–गर्वनेंस से सरकारी काम काज में पारदर्शिता, सेवाएं तत्काल जन सामान्य तक पहुंचना, जनहित गांरटी अधिनियम से सरकारी काम काज में लेटलतीफी और रिश्वतखोरी पर लगाम, सरकारी कार्यालय में चक्कर लगाने से मुक्ति, समय एवं धन की बचत तथा प्रशासन की जवाबदेयता निश्चित इत्यादि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है जो सुशासन में मददगार है।

'सूचना का अधिकार' सुशासन का आधार है। भारत में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें नागरिकों को सरकार या शासन के आचरण, कार्यशैली, नियम एवं व्यवहार के बारे में जानने का पूरा हक है। इसी उद्देश्य से 2005 ई0 मे 'सूचना का अधिकार अधिनियम' लागू किया गया, जो प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार शासन मे पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, प्रशासन में जवाबदेयी/उत्तरदायी बनाता है, लोक कल्याण को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार, बेईमान, मनमानी आदि को रोकने में सहायक है, जनभागीदारी को बढ़ाकर प्रजातंत्र को सुदृढ बनाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में सहायता करता है, प्रशासन और जनता के बीच दूरी को कम करता है, प्रशासनिक निर्णयों में अधिक सावधानी, तार्किकता, तटस्थता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है, जनता को अच्छी, कार्यकुशल सेवाएं उपलब्ध होती है,निःसंदेह इस अधिकार ने लोक अधिकारियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में और इसके द्वारा शासन की समूचित व्यवस्था में एक नये युग की सुत्रपात हुआ है।

सूचना तकनीकी के माध्यम से आम लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने और देश को सशक्त बनाने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। इसमे, ब्राडबैंड के जरिये इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी नागरिक एवं सरकारी कार्यालयों को इंटरनेट से जुडने पर लोगों के कार्य घर बैठे ही शीघ्र हो रहे है। इस कार्यक्रमों से डिजिटल तिजोरी, ई–बेग, ई–अस्पताल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, स्वच्छ भारत मिशन एप, वाई–फाई सुविधा, ई–प्रशासन, हॉट–स्पॉट की सुविधा, डिजिटल लॉकर, गुड गवर्नेंस, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया तथा डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि लाभ आम नागरिकों को प्राप्त हो रहे है।

सुशासन के मार्ग में बाधाएं व चुनौतियां

वर्तमान में विभिन्न संचार साधनों अखबार, टेलीविजन, रेडियो इत्यादि से दिन–प्रतिदिन दुःखद घटनाएं जानकर देश की जनता दिग्भ्रमित होती जा रही है। सैकड़ों अधिनियम बनने के बावजूद उन्हे व्यावहारिक रूप देने से शासन कतरा रहा है। ब्रिटिश कालीन बने कानूनों की मार से आम आदमी आज भी त्रस्त है, चुनावी लोक लुभावने वादे, अस्थिर सरकारे, अस्थिर योजनाएं, शासक वर्ग का गैर जिम्मेदाराना रवैया, लालफीताशाही, बढ़ते अपराध, यौन शोषण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, साम्प्रदायिकता का बढ़ता जहर, आतकंवाद, नक्सलवाद इत्यादि समस्याओं से आम आदमी जुझ रहा है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से युवा पीढी में व्यसन – भोग विलास बढ़ता जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में शासक व उसके सहयोगी मंत्रिमण्डल व नौकरशाही के लिए सुशासन को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूप देने में निम्नलिखित गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड रहा है –

राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, हिंसा एवं आतकंवाद, साम्प्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रवाद और जातीय तथा वर्गीय संघर्ष, गरीबी और आर्थिक विषमताएँ, स्वस्थ दलीय व्यवस्था का अभाव, सक्षम और सतर्क नेतृत्व का अभाव, लोक लुभावन नीतियां एवं शैली, लोकतांत्रिक परम्पराओं का अभाव, जनता में नागरिक दायित्वो के प्रति उपेक्षाभाव, शासन में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप, खर्चीली एवं जटिल न्यायिक प्रक्रिया – निर्णय प्रक्रिया में देरी, नौकरशाही मे व्याप्त लालफीताशाही व भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं में कमी, सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हकदार तक नहीं पहुंचना, जनसंख्या वृद्धि एवं समस्याएं (अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, बीमारी एवं बेरोजगारी निर्णय में टालमटोल की नीति), राजनीति में मूल्यों का पतन, सामाजिक कुरीतियॉ, पर्यावरणीय प्रदुषण, चुनाव प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं (भारी भरकम खर्च, हिंसा, परिचय पत्रों एवं नामावलियों में कमी, आचार संहिता का उल्लंघन इत्यादि), इन्टरनेट की सर्वसुलभता का अभाव तथा लोगो मे जानकारी की कमी,, सूचना के अधिकार का दुरूपयोग तथा पर्याप्त व्यवस्थाओं का अभाव तथा, डिजिटल असुरक्षा का भाव एवं साइबर अपराध इत्यादि।

सुशासन की दिशा में प्रभावी कदम (सुझाव)

1. शासन तंत्र में जनता की अधिकाधिक भागीदारी – शासन सत्ता का विकेन्द्रीयकरण ही जन–भागीदारी एवं सुशासन का एकमात्र मार्ग है। भारत में 1959 ई0 में पंचायती राज व्यवस्था तथा 1993 ई0 में 73 वें और 74 वें सांवैधानिक संशोधन के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सांवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई है। लेकिन आज भी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को और जिला प्रशासन को वे समस्त शक्तियां प्राप्त नही है, जो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। अतः वास्तविक विकेन्द्रीयकरण को बढ़ावा देकर गुणवता प्रदान की जावे।
2. शासन की सामर्थ्य और क्षमता में अधिकाधिक वृद्धि – बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा, आंतरिक क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा सुशासन की जन कल्याणकारी नीतियो/कार्यक्रमों को लागू करने हेतु शासन का समर्थवान होना आवश्यक है। शासन

द्वारा आवश्यक सैन्य शक्ति जुटाकर, कूटनीतिक उपायों द्वारा मित्र देशों की संख्या बढ़ाकर अपनी सामर्थ्य में वृद्धि करना चाहिए। इसके लिए देशहित को प्राथमिकता दी जाये। आंतरिक क्षेत्र में कानून निर्माण, कानूनों की उचित रूप क्रियान्विती, समाज कण्टकों में डर का भाव तथा नागरिकों में कानून एवं सता के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया जाना चाहिए। जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को दृढता से लागू किया जाना चाहिए।

3. राजनीतिक और प्रशासनिक शुद्धिकरण–संदिग्ध चरित्र और अपराधिक पृष्ठभूमि वाले तथा भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक, किसी भी जनप्रतिनिधी संस्था में प्रवेश से रोका जाये, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाये। चुनाव लडने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए ताकि योग्य व्यक्ति, चरित्रवान एवं कर्मठ व्यक्ति उम्मीदवार होवे। मंत्री व विधायकों के अपराध में शामिल होने की जांच हेतु फास्ट ट्रेक अदालते हो, दोष सिद्ध होने पर कठोरतम दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। सम्पति जब्त करने का प्रावधान किया जा सकता है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी सता के दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों के लिए यही प्रावधान किये जा सकते है। साथ ही लोकसेवकों को प्रशिक्षण और योग्यता से निष्णात बनाना होगा। संतुलित व समग्र विकास तभी हो सकता है जब प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारी योग्य निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी एवं कुशल हो।
4. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के प्रभावी उपाय अपनाने होंगें। इसके लिए रिश्वत देने और लेने वाले दोनो को ही दंडित किया जाना चाहिए। इसके लिए आमजन को भी रिश्वत नहीं देने की शपथ लेनी होगी तभी रोक संभव है।
5. धर्मनिरपेक्ष राज्य से आगे बढ़कर धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए संभव प्रयत्न किये जाने चाहिए। जिससे शासन का सारा ध्यान अपने सभी नागरिकों के प्रति समभाव रखते हुए सुशासन पर केन्द्रित होगा।
6. शासन और शासित दोनो के द्वारा संविधानवाद की धारणा और भावना को हृदयंगम किया जाये। दोनो ही कानून का पालन करे और कानून की भावना का सम्मान करे। शासन द्वारा नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाना चाहिये तथा सामान्य जनता द्वारा कानून का पालन एवं शासन को आवश्यक सहयोग किया जाना चाहिये।
7. न्याय व्यवस्था इतनी सरल और सस्ती होनी चाहिये कि साधारण जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न होवे और अपराधिक तत्व यह सोचकर भयभीत होवे कि मनमाना आचरण करने, कानून की अवहेलना करने पर उन्हे शीघ्र ही दंड अवश्य मिलेगा। देश में कई दशकों तक मुकदमे चलते रहते है और अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं हो पाता है। आम आदमी न्यायिक भाषा नहीं समझता वकीलो को मोटी भरकम फीस देनी पडती है अतः मुकदमों के निपटारे की समय–सीमा निश्चित की जानी चाहिए और सामान्यतया केवल एक अपील की ही व्यवस्था होनी चाहिये।
8. शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की अविरल आवश्यकता है। पारदर्शिता और जवाबदेयता होने पर ही जन सहयोग प्राप्त होगा और सुशासन स्थापित होगा। इसके लिए व्यवस्था स्पष्ट और पूर्णतया निश्चित रूप से होनी चाहिए। शासन के द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यो के संबंध में समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
9. अयोग्य, अनुत्तरदायी, भ्रष्ट, असंवेदनशील व अपराधी छवि के प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार (Right To Recall) मिलना चाहिए। इससे जनप्रतिनिधि जनता के बीच हमेशा रहेगे। साथ ही जवाबदेही होगे, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। झूठे वादे करने या बड़े–बड़े वादे करके मूँह फेर लेने की गलत परम्परा समाप्त होगी। योग्य व ईमानदार लोगो को राजनीति में आने का मौका मिलेगा। दागी, भ्रष्टाचारी हाशिए पर चले जायेगे। सदन में समय की बरबादी रूकेगी और सदन में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया जायेगा।
10. निर्वाचन में विजय होने के लिए कुल मतों का 51 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक हो। नकारात्मक मत डालने के अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाया जाये। चुनाव संबंधी मामलों का निस्तारण न्यायपालिका द्वारा शीघ्र किया जावे।
11. विकास प्रक्रिया को न्याय संगत और मानवीय पैमाने पर लाना होना चाहिए। यह ऐसी होनी चाहिए जिसे विभिन्न जीवन स्तरों पर जी रहे लोग अपना सके और आगे बढ़ सके। यह समाज की जडों से प्रारम्भ होकर उसके शीर्ष तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए देश के प्रशासकीय ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव अपेक्षित है।"[19]
12. जन सशक्तिकरण अर्थात् जनता को निष्ठावान व्यक्ति का चुनाव करने का संकल्प लेना होगा। सुशासन के लिए सच्चे, ईमानदार, न्यायप्रिय एवं चरित्रवान लोगों का चयन करे जिससे शासन नैतिक मूल्यों और आदर्शो से निष्पक्ष रूप से चलाया जा सके। आमजन को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा। साथ ही सूचना का अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार का प्रयोग कर शासन को उत्तरदायी बनाये रखना होगा। सुशासन हेतु साफ सुथरी सरकार बनाना आवश्यक है।
13. व्यक्तिगत राजनीति के स्थान पर संस्थागत राजनीति को स्थापित किया जाये। संस्थागत क्षरण की क्षति को रोककर संस्थागत मोर्चो को मजबूत किया जाये। सडक से संसद तक तथा मंत्री से संतरी तक ने जमीन और जमीर का सौदा कर लिया है। विधानमण्डल, नौकरशाही, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी की वैद्यता, विश्वास और विद्यायन तक प्रश्न चिन्ह लग रहे है। अतः इस संस्थागत सदन को

रोकने हेतु सुधारों का एक मूलभूत रोड मेप विकसित किया जाये तथा दृढ संकल्प शक्ति से लागू किया जाये।

14. विशाल सरकारी तंत्र और उसमें होने वाले अनाप–शनाप खर्चे पर अंकुश लगाना होगा। देश में योजनाओं की भारी भरकम राशि विकास पर नहीं बल्कि रखरखाव पर व्यय होती है। कर्जे की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए राहु–केतु है। अतः प्रशासनिक ढांचे में मितव्ययता विकसित करनी होगी।
15. नौकरशाही या अधिकारीतंत्र के व्यवहार और अभिवृद्धि में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना, नवाचारों का संचार व संधारण करना, सहभागी प्रजातंत्र को स्वीकार करना जवाबदेही, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के गुणों से अधिकारी वर्ग को लैस करना होगा।
16. प्रजातंत्र और सिविल सोसायटी एक दूसरे के पूरक है। प्रजातंत्र को गतिशील करने, सरकारी तंत्र को अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने में सिविल सोसायटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
17. राजनीतिक दल प्रत्याशी का चयन योग्यता से करे। दागी व अपराधिक प्रत्याशियों से किनारा करें। चुनाव रैलियों व घोषणापत्रों में मुद्दों की बात हो। अपशब्द और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें। पद एवं सत्ता के लिए नहीं, अपितु जनसेवा के भाव से कार्य करें। आचार संहिता का पालन, घोषणापत्र को क्रियान्वयन, सिद्धान्तों की राजनीति, वित्तीय एवं सम्पति की घोषणा, दल बदल पर रोक, दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना इत्यादि सुधार आवश्यक है।
18. सांस्कृतिक मतभेदो का प्रारम्भ मे ही समाधान होवे ताकि उग्र रूप धारण नहीं करे। जब मतभेद ज्यादा हो जाते है तो हिंसक गतिविधियां बढ़. जाती है जिससे विकास कार्य बाधित हो जाते है। अतः ऐसे मतभेदो को प्रशासन द्वारा गम्भीरता से लेकर प्रारम्भिक स्तर पर समाधान करना चाहिए।
19. महिलाओं के प्रति अनैतिक, असामाजिक, अप्राकृतिक और अमानवीय आचरण पर चिंता एवं चिन्तन की अति आवश्वयकता है। सरकार, समाज, मीडिया, समाजसेवी संस्थाए व आम नागरिक को ईमानदारी से महिला विकास और सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करने होगे। महिलाओं को भी जागृत होकर दबाव–समूह के रूप में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी।
20. आर्थिक मोर्चे पर पुर्नचिन्तन करके आम जन को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक और प्रभावी रणनीति विकसित करनी होगी। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को निष्पक्ष एवं अधिक प्रभावी, बिजली, उर्जा, तेल, परिवहन, दूरसंचार जैसे मूल आर्थिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा, इन क्षेत्रों में छिजत को रोकना इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए।
21. सरकार एवं प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। रोटी, कपडा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ–साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर फोकस, सभी को रोजगार, स्वच्छ एवं सुन्दर वातावरण, प्रभावशाली प्रबंधन एवं वितरण, सामाजिक समरसता को बढ़ावा, सार्वभौमिक रूप से अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त अभिशासन अति आवश्यक है।
22. सुशासन कानून का शासन होता है। जिसमें सभी के लिए एक ही कानून होता है लेकिन वस्तुस्थिति भिन्न है। एक चपरासी के रिश्वत लेने पर उस पर तुरन्त कार्यवाही होती है परन्तु एक मंत्री व उच्चाधिकारी के भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने पर उसकी जांच मे ही लम्बा समय लगा दिया जाता है या जांच टाल दी जाती है। फिर उस पर मुकदमा चलेगा, यह किसी को नहीं पता। अतः व्यावहारिक रूप से कानून के शासन की पालना अतिआवश्यक है।
23. नियमों एवं संस्थाओं की कार्यप्रणाली सरल व स्पष्ट बनाया जाये। जो आम आदमी को समझ में आ सके, उनकी मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करें तथा उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करें।
24. इन्टरनेट की सर्वसुलभता होवे जिससे आसानी से कार्य किये जा सके। विशेषकर ग्रामीण एवं दूर–दराज के इलाकों में सेवाओं का विस्तार होंवे।
25. सूचना के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसका प्रचार–प्रसार, पाठ्यक्रम में शामिल करना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तथा ट्रांसपरेन्सी की शपथ देकर अधिक जागरूक बनाना, आरटीआई आवेदनों के उचित एवं व्यस्थित प्रबंधन की व्यवस्था, सूचना देने में देरी, केवल आंशिक सूचना देने, सूचना देने में कोताही बरतना, लापरवाह, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान, प्रभाव और कार्यकुशलता की समुचित निगरानी की व्यवस्था इत्यादि उपाय किये जाने चाहिये।
26. ''आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकी के साथ–साथ नेतृत्व, प्रशासन तथा जनता को टेक्नो–फ्रेंडली (Techno-Friendly) बनाना होगा''।[20]

निष्कर्ष

एक सुशासन की पहचान सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में दिखाई देती है। जिनसे कि आम आदमी को लाभ मिलता है। इन नीतियों को बनाने एवं कार्यक्रमों को लागू करने वाले व्यक्ति ईमानदार, निष्पक्ष, योग्य एवं निष्ठावान हो, जो अपने उत्तरदायित्व को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हो, अर्थात सुशासन को स्थापित करने के लिए एक अच्छी सरकार की आवश्यकता होती है। साथ ही सरकार को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदार बनाना होगा। सशक्त एवं प्रभावी नेतृत्व, आत्मसमर्पण, कर्त्तव्यनिष्ठा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पर्याप्त बुनियादी संसाधन की उपलब्धता तथा प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी, नेता, प्रशासक व आमजन अपने–अपने उत्तरदायित्व का पालन करे तो सुशासन स्वतः ही आ जायेगा। संविधान के प्रमुख चारो स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को निडर एवं सशक्त बनाना होगा। यदि ये चारों अपनी भूमिका निर्भीक होकर करे तो निश्चय ही सुशासन का सूर्योदय हो सकता है।

शिक्षा में आमूलचूल परिर्वतन लाना होगा, नारी शक्ति में आत्मविश्वास पैदा करना होगा, गरीब, असहाय व दुर्बल लोगो को संरक्षण देना होगा, जातीयता, प्रांतीयता, धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता से उपर उठकर देशप्रेम के भाव जाग्रत करने होगें नेताओं की स्वच्छन्दता, अपराधिक कृत्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखना होगा। चरित्रवान लोगों को आगे आना, धनबल व बाहुबल को हतोत्साहित करना होगा तथा भ्रष्ट लोगो का सामाजिक बहिष्कार इत्यादि कार्य करने होगे।

इसके लिए आम नागरिक को भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए अच्छे एवं ईमानदार व्यक्तियों को निर्वाचित करके इन सुधारों में अपना योगदान देना होगा। अन्त में शासन और जनता एक–दूसरे की परिस्थितियों, कठिनाईयों और मनोभावों को समझे, पूरे मन–मानस के साथ परस्पर सहयोग की स्थिति को अपनाये, तभी सुशासन संभव है।

अंत टिप्पणी

1. *डॉ0 श्यामलाल पाण्डे – प्राचीन भारत के विचारक एवं संस्थाएं, दिल्ली 1982 पृ. 108*
2. *डॉ0 पुखराज जैन – राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, पृ. 325*
3. *डॉ0 पुखराज जैन – वही, पृ. 326–327*
4. *डॉ0 बी.एल. फडिया – प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, पृ. 52–53*
5. *वही – पृ. 94*
6. *वही – पृ. 239*
7. *वही – पृ. 266–268*
8. *डॉ0 पुखराज जैन – भारतीय राजनीतिक विचारक, पृ. 09*
9. *महाभारत शांतिपर्व 56–16–19, 57–12–14, 30–32*
10. *अर्थशास्त्र अधिकरण 1, अध्याय 04*
11. *शुक्रनीति, अध्याय –1 श्लोक 91*
12. *डॉ0 मधुकर श्याम चतुर्वेदी – भारतीय राजनीतिक विचारक, पृ 350–355*
13. *वही – पृ. 473*
14. *डॉ. डी.डी. वसु – भारतीय संविधान (प्रस्तावना) पृ. 22–38*
15. *डॉ. डी.डी. वसु – भारतीय संविधान (भाग4) पृ. 184–199*
16. *डॉ. डी.डी. वसु – भारतीय संविधान (भाग 3) पृ. 97–183*
17. *संविधान संशोधन अधिनियम (73 वां एवं 74 वां) 1993– भारत सरकार*
18. *सूचना का अधिकार अधिनियम 2005– भारत सरकार*
19. *डॉ0 एन. एस. पंवार – भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : बुनियादी बदलाव की आवश्यकता, भारत में सुशासन : सिद्धान्त एवं व्यवहार, पृ0 82*
20. *डॉ0 उम्मेद सिंह इंदा – सुशासन कल, आज और कल, भारत में सुशासन : सिद्धान्त एवं व्यवहार, पृ0 80*
21. *ई–संदर्भ – विभिन्न विभागीय वेबसाईट्स, रिपोर्टस*
22. *समाचार पत्र – राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर*
23. *पत्रिकाएँ – इंडिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण*